पत्रांक–01 / प्रा0आ0–13 / 2016 / ......1155....... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,
प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 20/4/18

विषय– नोडल जिलों द्वारा आपदा के दौरान उपयोग हेतु पॉलीथीन शीट्स के क्रय एवं भंडारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में घटित होने वाले प्राकृतिक / गैर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अग्निकांड आदि से बेघर हो चुके पीड़ितों को राहत पहुँचाने हेतु अन्य सामग्रियों के साथ–साथ पॉलीथीन शीट्स भी उपलब्ध करायी जाती है। इस वर्ष आये बाढ़ के दौरान यह देखा गया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रर्याप्त मात्रा में पॉलीथीन शीट्स का भंडारण नहीं रहने के कारण उन्हें अन्य जिलों से पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति करनी पड़ी, जबकि संभावित बाढ़ के आलोक में सभी जिलों को प्रर्याप्त संख्या में पॉलीथीन शीट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उल्लेख बाढ़ मानक संचालन प्रक्रिया में किया गया है। साथ ही, विभाग द्वारा भी इस संबंध में कई बार निदेश दिये जा चुके हैं। अबतक आपदा के दौरान जिला स्तर से ही पॉलीथीन शीट्स का क्रय किया जाता रहा है।

2. दिनांक–29.11.2017 एवं दिनांक–28.03.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रमंडल मुख्यालय के जिलों को पॉलीथीन शीट्स के क्रय हेतु नोडल जिला बनाने का निर्णय लिया गया है। नोडल जिलों द्वारा अपने प्रमंडल स्थित जिलों की आवश्यकता का आकलन अधियाचना के आधार पर कर, नियमानुसार पॉलीथीन शीट्स का क्रय किया जायेगा तथा संबंधित जिलों को उनके द्वारा अधियाचित पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध कराया जायेगा। पॉलीथीन शीट्स के क्रय हेतु विभाग द्वारा राशि का आवंटन नोडल जिला को उपलब्ध कराया जायेगा। नोडल जिला से संबंद्ध जिलों तक पॉलीथीन शीट्स पहुँचाने की जिम्मेदारी नोडल जिला द्वारा चयनित आपूर्तिकर्त्ता की होगी। जिलों द्वारा पॉलीथीन शीट्स प्राप्त किये जाने के प्रमाण–पत्र के आधार पर नोडल जिला द्वारा पॉलीथीन शीट्स के आपूर्तिकर्त्ता को राशि का भुगतान किया जायेगा। नोडल जिला द्वारा पॉलीथीन शीट्स के कार्यादेश की प्रति सभी संबद्ध जिलों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे संबद्ध जिलों द्वारा उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले पॉलीथीन शीट्स की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन किया जा सके।

क्र०	**नोडल जिला का नाम**	**संबंद्ध जिला**
1	पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर
2	दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
3	सारण	सारण, सिवान, गोपालगंज
4	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली

5	भागलपुर	भागलपुर, बांका
6	मुंगेर	मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा
7	गया	गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद
8	सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
9	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया

3. नोडल जिला द्वारा पॉलीथीन शीट्स के क्रय हेतु निर्धारित दर आगामी दो वर्षो के लिए मान्य होगा, परन्तु यह दर Government e- Market (GeM) के निर्धारित दर से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं होगा।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1155 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/4/18

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1155 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/4/18

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1155 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/4/18

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव